

I 6979

S.R.-1



25/6/09

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

91538

NTK
586/178/09



सुमान



मो 2409

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार :-	कृषि भूमि
वार्ड/परगना :-	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला/ग्राम :-	शेरनगर
सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर):-	खसरा नम्बर 8
मापन की इकाई :-	हैक्टेयर

सुमान



मो 2409





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 651534

-2-

सम्पत्ति का क्षेत्रफल :-	0.2910 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति :-	नहीं है
सम्पत्ति का प्रकार :-	कृषि
पेड़ों का मूल्यांकन :-	नहीं है
बोरिंग/कुआ/अन्य :-	नहीं है
सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- नहीं है	
प्रतिफल की धनराशि :-	8,15,000/-रुपये

समन

मोहम्मद खान

अमित कुमार गर्ग
स्टाम्प विक्रेता 480
तहल-मुजफ्फरनगर

11

स्टाम्प विक्रय की तिथि 27-6-09

स्टाम्प क्रय करने का प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती श्री सिद्धी विनायक बिल्डर्स 39, मुजफ्फरनगर

5000/-

अमित कुमार गर्ग

तहल-मुजफ्फरनगर

स्टाम्प क्रय नं. 4

स्टाम्प क्रय की अवधि 31-12-2012

5000x3=15000

815,000.00/ 815,000.00

5,000.00

20

5,020.00

800

प्रतिफल

मालिक

श्री/श्रीमती

सुमन

पुत्र / पत्नी

श्री अमरपाल सिंह

पेशा

गृहिणी

निवासी

सहायली मुजफ्फरनगर

अध्यायी पत्र

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में

दिनांक 10/7/2009

समय 1:30PM

बड़े निबन्धन हेतु पेश किया।

सुमन



अधिकेश पाण्डेय

उपनिबन्धक(प्रथम)

मुजफ्फरनगर

10/7/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद करने व सम्पन्न करने का प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती सुमन

पुत्र/पत्नी श्री अमरपाल सिंह

पेशा गृहिणी

निवासी सहायली मुजफ्फरनगर

सुमन



श्री/श्रीमती श्री सिद्धी विनायक बिल्डर्स 39, हारा पार्टनर

मौजूदा

पुत्र/पत्नी श्री हबीब अहमद

पेशा व्यापार

निवासी शेरनगर मुजफ्फरनगर

10/7/2009



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री अमरपाल सिंह

पुत्र श्री सुबेराज

पेशा कृषि

निवासी सहायली मुजफ्फरनगर

व श्री विनोद कुमार शर्मा

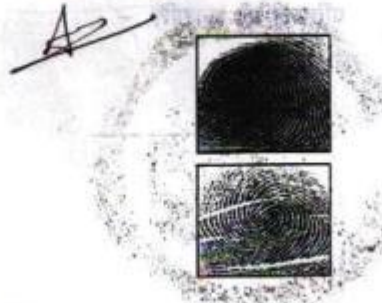
पुत्र श्री

पेशा वकालत

निवासी तहल सदर मुजफ्फरनगर

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र मन्त्रियों के निज़ाम अंगूठे नियमानुसार लिखे गये हैं।



अधिकेश पाण्डेय

उपनिबन्धक(प्रथम)

मुजफ्फरनगर

10/7/2009



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 651535

-3-

मालियत	:-	8,14,800 / -रुपये
निर्धारित दर	:-	28,00,000 / -रुपये प्रति है।
स्टाम्प शुल्क	:-	57,050 / -रुपये
किस्म जमीन	:-	अव्वल आबी

विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

समन



गो. मा. कुल



अमित कुमार गग्ने
स्टाम्प विक्रेता
सह-मुद्रणकर्तृ

12 स्टाम्प विक्रेता की तिथि 27-6-09
स्टाम्प की धनराशि 5000/-
बामिस नम्बर 11/ दिया गया है

अमित कुमार गग्ने (स्टाम्प विक्रेता)
सह-मुख्य सदस्य, मुद्रणकर्तृ
साइट नं. 254
आइसिस की अवधि 31-3-2012

विक्रेता

Registration No.: 6979

Year: 2009

Book No.: 1

0101 सुमन

अमरपाल सिंह
सहाय्यी मुद्रणकर्तृ
गृहिणी



(1) प्रमाण कि इस व्यक्ति (1) प्रमाण कि इस व्यक्ति





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 651536

-4-



हम कि श्रीमति सुमन पत्नी श्री अमरपाल सिंह निवासी ग्राम सहावली परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व श्री सिद्धी विनायक बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर मौहम्मद याकूब पुत्र श्री हबीब अहमद निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित की मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है।

सुमन



मौहम्मद याकूब



13 स्टाम्प विक्रय की तिथि 22-6-2019
स्टाम्प की घनराशि 5000/-
शामिल नम्बर 11

अमिन कुपान्त वर्ग (स्टाफ वर्कर्स)
तहसील सदर, नुबलपुरनगर
साईनेस नं० 254
साईनेस की अर्था 31-3-2012

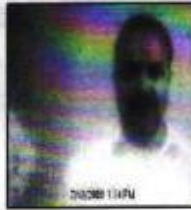
क्रेता

Registration No. : 6979

Year : 2009

Book No. :

0201 श्री सिद्धी विनायक बिल्डर्स 39, द्वारा पार्टनर नौ० याकुब
हबीब अहमद
शेरनगर मु०नगर
व्यापार

[illegible]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 651692



-5-

यह भूमि हर प्रकार के ऋण भार, देनदाशी से कतई پاک व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली भूमि निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने भूमि निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन आठ लाख

समन



मोक्षकुल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 651693



-6-

पन्द्रह हजार रुपये (8,15,000/-रुपये) आखे जिसके अंकन चार लाख सात हजार पांच सौ रुपये (4,07,500/-रुपये) होते है बदस्त श्री सिद्धी विनायक बिल्डर्स 39, सुधरासाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर मौहम्मद याकूब पुत्र श्री हबीब अहमद निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य द्वारा एक किता चैक नम्बरी 342081 दिनांक 27-06-2009 ई0 विजया बैंक मुजफ्फरनगर प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है अब कोई

समन



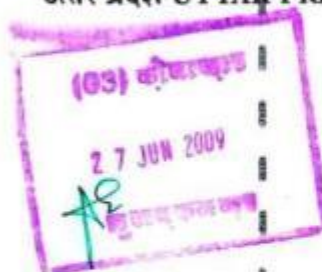
मौहम्मद याकूब





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 651694



-7-

पैसा बाकी नहीं रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्त अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हें अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य

समन



मोहताकूल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 702952



-8-

मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग, बाईपास या खडन्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि में कोई पेड ट्यूबवैल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 8,14,800/- रुपये होती है लेकिन विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन

समन



मान शाकुल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 702953

-9-

8,15,000/- रुपये में हैं। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नहीं है। जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर- जो कि कृषि भूमि खाता संख्या 83 के खसरा नम्बर

समन

मैलाकुल





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 537608

-10-

8 रकबई 0.2910 है० लगान सालाना 14.35 रुपये, किस्म जमीन जंगल
अखल आबी, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

समान
मौज्यालूल

साक्षी
साक्षी

अ. कालपाल फिद
अ. लखनौ
महिल

तहसीर ता०-10-07-2009 ई०
ड्राफ्ट कर्ता-विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर।

आज दिनांक 10/07/2009 को
 वही सं. 1 जिल्द सं. 5003
 पृष्ठ सं. 103 से 126 पर कर्मांक 6979
 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अधिकेश पाण्डेय

10/7/2009

